Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम ....बयाना.....................

सुभय सिंह ....बनाम ....राजेन्द्र वगैराह ....

केसम मुकदमा ...प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट ....नं.........................सन ...4/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
08.01.2025	प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण मूल के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें का निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम कैर तहसील बयाना में वादी प्रार्थी व तरतीवी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में मदाखलत मजामत नहीं करें। डौल मेडों को नहीं तोडें। उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। हमने एड. प्रार्थी को एकपक्षीय सुना। बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अतः अप्रार्थीगण मूल के विरूध्द अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 06.03.2025 तक इस आशय की जारी की जाती है कि मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम कैर तहसील बयाना के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। **नोट– यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे। उक्त खसरा नम्बर पर जारी स्थगन आदेश सटे हुए खसरा नम्बरान की पैमाईश बाबत निष्प्रभावी रहेगें।** पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझी जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 06.03.2025 को पेश हो। [signature]	

6/3/25 [illegible] दि. 17/6/25 को पेश हो

19/6/25 प्रकरण पेश हुआ। कोई भी पक्षकार उपस्थित [illegible] आदेश/आदेश कार्यवाही हेतु 10/[illegible]/25 को पेश हो

CC आवाज दे

18/8/25

पीठासीन अधिकारी........

पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/10/25 को पेश है।

रीडर

ओ/एस.डी.एम.

27/10/25 प्रकरण पेश हुआ। प्रकरण में कोई भी पक्षकार उप० नहीं। प्रकरण के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा के बार-बार आवाज लगवाई गई। आवाज उपरान्त भी प्रकरण में कोई उप० नहीं।

अतः प्रकरण [illegible] पर अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।